राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–5) विभाग

क्रमांकः– प.14(46) कार्मिक/क–5/2018 जयपुर दिनांकः 04/9/2018

कार्यवाही विवरण

अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति (श्री आयुदान सिंह कविया, संयोजक) के 07 सूत्रीय मांग–पत्र पर विचार–विमर्श हेतु मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में एक बैठक दिनांक 30.08.2018 को मध्याह्न 04:00 बजे शासन सचिवालय स्थित समिति कक्ष–1 में आहूत की गई, जिसमें निम्न अधिकारीगण उपस्थित हुएः–

1. श्री मुकेश शर्मा, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग।
2. श्री भास्कर ए. सावंत, शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
3. श्री महेन्द्र सिंह भूकर, संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक विभाग।

बैठक में अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के संयोजक श्री आयुदान सिंह कविया, सह संयोजक श्री गजेन्द्र सिंह राठोड एवं अन्य 15 प्रतिनिधिगण भी उपस्थित हुये।

बैठक में अध्यक्ष महोदय द्वारा संघर्ष समिति द्वारा प्रस्तुत 07 सूत्रीय मांग–पत्रों पर विचार– विमर्श कर निम्नानुसार निर्देश प्रदान किये गयेः–

1. **सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें केन्द्र सरकार के अनुरूप 01 जनवरी 2016 से शीघ्र लागू की जाये तथा समस्त परिलाभ देते हुए ऐरियर का नकद भुगतान किया जावे।**

वित्त विभाग ने अवगत कराया कि सातवें केन्द्र वेतन आयोग पर आधारित वेतनमान का लाभ दिनांक 01.10.2017 से दिये जाने हेतु राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 दिनांक 30.10.2017 को जारी कर दिये गये थे। राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 दिनांक 01.01.2016 से 31.12.2016 तक वेतन निर्धारण का काल्पनिक लाभ दिये जाने की अधिसूचना दिनांक 09.12.2017 को जारी कर दी गई है।

वित्त विभाग के अभिमत सुनने के पश्चात अध्यक्ष महोदय ने निर्देश प्रदान किये कि राज्य में पूर्व में भी वेतन आयोग की सिफारिशें केन्द्र के समान लागू नहीं की गई है। इस संबंध में श्री डी.सी. सामंत की अध्यक्षता में गठित वेतन विसंगति निवारण कमेटी रिपोर्ट

www.rajteachers.com

आना शेष हैं साथ ही जिन बोर्ड, निगम, स्वायत्तशाषी संस्थाओं में सातवे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू नहीं हुई है उन पर शीघ्र लागू किये जाने की अभिशंषा की।

2. राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 30.10.2017 द्वारा अनुसूची–5 (**Schedule-V**) में किये गये संशोधनों (मूल वेतन कटौती) को निरस्त कर वित्त विभाग द्वारा पूर्व में जारी अधिसूचना दिनांक 28.06.2013 के **Schedule-V** में ग्रेड पे के अनुसार निर्धारित मूल वेतन (**Entry Basic pay**) के आधार पर ही **Entry Pay** (मूल वेतन) देते हुए **Pay Matrix** निर्धारित की जावे। सातवें वेतन आयोग के सम्बन्ध में जारी अधिसूचना में स्वीकृत पे–मैट्रिक्स में शीघ्र संशोधन किया जाकर केन्द्र सरकार द्वारा जारी पे–मेट्रिक्स के समान की जावें।

वित्त विभाग ने अवगत कराया कि राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2008 की अनुसूची–5 में अधिसूचना दिनांक 28.06.2013 द्वारा संशोधन के परिणामस्वरूप कुछ ग्रेड पे में कनिष्ठ कार्मिकों का वेतन वरिष्ठ कार्मिकों के वेतन से अधिक हो गया। उक्त त्रुटियों को समाप्त करने के लिए अनुसूची– V में दिनांक 01.07.2013 से पुनः संशोधन किया गया है। अतः अधिसूचना दिनांक 30.11.2017 को निरस्त करने का कोई औचित्य नहीं है।

छठे वेतन आयोग के अनुसार निर्धारित पे बैण्ड के लिए 7वें वेतन आयोग के अन्तर्गत वेतनमान एवं पे लेवल का प्रारम्भिक वेतन निर्धारित करने हेतु Index of Ratinalisation (IOR) केन्द्र के समान रखा गया है। छठे वेतन आयोग की सिफ़ारिशें लागू करने के पश्चात केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार की ग्रेड पे एवं नियुक्तियों पर प्रारम्भिक वेतन भिन्न था। केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के अधिकांश सेवा संवर्ग एवं इनकी सेवा शर्तें भिन्न–भिन्न हैं। राज्य में प्रभावी ग्रेड पे एवं प्रारम्भिक वेतन के अनुसार सातवें वेतन आयोग में पे–मैट्रिक्स लागू किये है। केन्द्र के समान पे लेवल एवं पे–मैट्रिक्स राज्य सरकार के वेतन नियमों में सम्मिलित किया जाना युक्तिसंभव नहीं है।

वित्त विभाग के अभिमत जानने के पश्चात अध्यक्ष महोदय ने अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग को पे–मैट्रिक्स में यदि कोई भ्रांतियां हो तो उनका परीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने के निर्देश प्रदान किये।

www.rajteachers.com

3. <u>वर्ष 2004 के बाद नियुक्त राज्य कर्मचारियों के लिये पेंशन योजना (NPS) के स्थान पर शीघ्र पुरानी पेंशन योजना लागू की जावें।</u>

वित्त विभाग ने अवगत कराया कि दिनांक 01.01.2004 के पश्चात् नियुक्त कार्मिकों के लिए केन्द्र के समान नवीन पेंशन योजना प्रभावी है। इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन वांछित नहीं है। केन्द्रीय कार्मिक मंत्री महोदय इस बाबत संसद में भी घोषणा कर चुके हैं ।

वित्त विभाग का अभिमत सुनने के पश्चात अध्यक्ष महोदय ने नवीन पेंशन योजना को समाप्त करना संभव नहीं बताया परन्तु पेंशन अंशदान राशि निवेश बाबत अन्य राज्यों में प्रचलित व्यवस्थाओं का परीक्षण करने हेतु एक समिति बनाने के निर्देश प्रदान किये । मुख्य रूप से पेंशन अंशदान द्वारा की गई कटौतियों को क्या सामान्य प्रावधायी निधि (जीपीएफ) में जमा कराया जा सकता है ? इस संबंध में परीक्षण किये जाने हेतु वित्त विभाग को निर्देश प्रदान किये।

4. <u>राज्य कर्मचारियों को 7, 14, 21, 28 की सेवा अवधि पूर्ण करने पर चयनित वेतनमान का लाभ देते हुए पदोन्नति पद का वेतनमान/पे मेट्रिक्स दिया जावें।</u>

वित्त विभाग ने अपने अभिमत से अवगत कराया कि प्रस्ताव पर वित्तीय भार आ सकता है जिस पर अध्यक्ष महोदय ने अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग को निर्देश प्रदान किये कि उक्त मांग पर पडने वाले वित्तीय भार की गणना कर 05 सितम्बर, 2018 तक अपनी टिप्पणी के साथ रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

उक्त मांग पर राज्य सरकार पूर्णतः गंभीर है अतः पडने वाले वित्तीय भार के मध्यनजर सरकार द्वारा एक विवेकपूर्ण निर्णय लिया जा सके ।

5. <u>(अ) सुराज संकल्प पत्र–2013 में कर्मचारी कल्याण के लिये की गई घोषणाओं की कियान्विति में सभी अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं अन्य संवर्गो की वेतन विसंगतियां दूर की जावे तथा रिक्त पदों को भरते हुए राज्य सरकार के अधीन अस्थाई संविदा मानदेय के अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारियों को नियमित किया जावे एवं समस्त चुनावी वायदे पूरे किये जावे।</u>

वित्त विभाग ने अवगत कराया कि राज्य सरकार के छठा वेतन आयोग लागू होने के पश्चात् विभिन्न कर्मचारी संघो द्वारा प्रस्तुत ज्ञापनों एवं वेतन विसंगति निराकरण करने की मांगों के निस्तारण हेतु श्रीमति कृष्णा भटनागर, की अध्यक्षता में गठित समिति एवं इसके पश्चात् प्रमुख शासन सचिव, वित्त की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिशों के अनुसार ग्रेड पे का संशोधन कर दिया गया था। इस प्रकार अब कोई वेतन विसंगति शेष नही रही। राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 के अन्तर्गत रही वेतन

www.rajteachers.com

विसंगतियों का परीक्षण करने के लिये श्री डी.सी. सामन्त, सेवानिवृत आईएएस की अध्यक्षता में वेतन विसंगति निवारण समिति का गठन किया गया है।

वित्त विभाग के अभिमत सुनने के पश्चात अध्यक्ष महोदय ने वित्त विभाग को सामंत समिति की रिपोर्ट आने पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर प्रस्ताव तैयार करने की अभिशंषा की।

(ब) सुराज संकल्प पत्र–2013 के बिन्दु संख्या–5 पर की गई घोषणा के अनुरूप जनता ज़ल योजना कर्मी, प्रेरक, विद्यार्थी मित्र, वन मित्र, कृषि मित्र, पैराटीचर, मदरसा पैराटीचर, शिक्षाकर्मी, लोक जुम्बिस कर्मचारी, एन.आर.एच.एम. कर्मी, नरेगा कर्मी, आंगनबाडी कार्यकर्त्ता, सहायिका, साथिन, आशा सहयोगिनी, चिकित्साकर्मी, कम्प्यूटर ऑपरेटर, शिक्षक, होमगार्ड, सीसीडीयू एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अंशकालीन रसोईयां व चौकीदार, मुख्यमंत्री निशुल्क जांच की योजना में लगाये गये लेब टैक्नीशियन, लेब अटेन्डेन्ट एवं लेब सहायक आदि के मानदेय में बढोतरी की जावे एवं इन्हें नियमित किया जावें।

वित्त विभाग ने उक्त मांग के संबंध में अपने अभिमत से अवगत कराया कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उमा देवी बनाम कर्नाटक राज्य के प्रकरण में पारित निर्णय के क्रम में कार्मिक विभाग की अधिसूचना प.5(2)कार्मिक/क–2/2008 पार्ट दिनांक 08.07.2009 के अनुसार ऐसे अस्थाई कार्मिक जो दिनांक 10.04.2006 तक 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने सहित अन्य शर्ते पूर्ण नहीं करते हैं, उन्हे नियमित नहीं किया जा सकता। इस बिन्दु पर कार्मिक विभाग की टिप्पणी भी अपेक्षित है, जिस पर अध्यक्ष महोदय ने अस्थायी व्यवस्था के अन्तर्गत कार्यरत कार्मिकों का न्यूनतम वेतन (कुशल श्रमिक) निर्धारित करने एवं प्रतिवर्ष मानदेय बढाये जाने के लिये मापदंड तय करने हेतु प्रस्ताव का परीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने की अभिशंषा की।

6. (अ)माननीय न्यायालयों द्वारा कर्मचारियों के हित में दिये गये समस्त निर्णयों की पालना सुनिश्चित की जावें।

वित्त विभाग ने अपने अभिमत से अवगत कराया कि माननीय न्यायालयों द्वारा कर्मचारियों के हित में दिये गये समस्त निर्णयों पर राज्य सरकार द्वारा परीक्षण कर गुणावगुण के आधार पर उनकी पालना सुनिश्चित की जा रही है।

वित्त विभाग के अभिमत सुनने के पश्चात अध्यक्ष महोदय ने उक्त मांग के संबंध में सहमति जाहिर करते हुये समान प्रकृति के प्रकरणों में माननीय न्यायालयों द्वारा पारित

www.rajteachers.com

निर्णयों को समान रूप से लागू किये जाने एवं संघर्ष समिति द्वारा न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों के संबंध में सरकार को अवगत कराये जाने की अभिशंषा की।

(ब) 01 जून, 2002 के पश्चात राज्य कर्मचारियों के दो से अधिक संतान होने पर ए.सी.पी. की विसंगतियों को दूर करने बाबत्।

उक्त मांग के संबंध में वित्त विभाग ने अपने अभिमत से अवगत कराया जिस पर अध्यक्ष महोदय ने निदेश प्रदान किये कि संयुक्त संघर्ष समिति पृथक से प्रस्ताव तैयार कर राज्य सरकार को प्रस्तुत करें ।

7. राज्य में पी.पी.पी. ठेकाप्रथा, निजीकरण, विभागों का आकार घटाना एवं पदों की कटौती बंद की जावें। रिक्त पदो का शीघ्र सीधी भर्ती द्वारा भरा जावें।

उक्त मांग के संबंध में वित्त विभाग ने अवगत कराया कि मांग अस्पष्ट है एवं इसमें किसी प्रकार के तथ्य प्रस्तुत नहीं किये गये है। मांग में वर्णित बिन्दु राज्य सरकार के नीतिगत निर्णय के अन्तर्गत आते है। अतः इन बिन्दुओं पर टिप्पणी वांछित नहीं है।

वित्त विभाग के अभिमत सुनने पश्चात अध्यक्ष महोदय ने अभिशंषा की कि राज्य सरकार ने अधिकांश पदो पर भर्ती प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी है एवं भविष्य में शेष रहे रिक्त पदो पर भर्ती किये जाने की प्रक्रिया जारी रखी जावें।

उक्त मांगों के अतिरिक्त अन्य मांगों पर भी बैठक में विचार–विमर्श हुआ जिन पर अध्यक्ष महोदय ने निम्नानुसार अभिशंषा कीः–

1. एम.टी.एस. (बहुउद्देशीय कार्मिक) बजट घोषणा के अनुसार केन्द्र सरकार के अनुरूप राज्य में एम.टी.एस. का पद सृजित कर सहायक कर्मचारियों को समायोजित किया जावे। चूंकि प्रकरण विधि विभाग में प्रकियाधीन है जिस पर शीघ्र कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान करते हुये इनका प्रारम्भिक वेतन 18,000 किये जाने पर सैद्वान्तिक सहमति जाहिर की।

2. कर्मचारी कल्याण हेतु गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति की विभिन्न बैठकों में की गई अभिशंषाओं/निर्णयों पर 07 दिवस में कार्यवाही किये जाने हेतु कार्मिक विभाग को निर्देश प्रदान गये।

www.rajteachers.com

3. विधालयों का ग्रीष्मकालीन समय आधा घण्टा कम किये जाने के बारे में पूर्व में निर्णय होना अवगत कराया गया तदनुसार पूर्व में इस आशय का निर्णय हुआ हो तो शीघ्र लागू किये जाने हेतु प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देश प्रदान किये।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(भास्कर ए. सावंत)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:–

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख सचिव प्रथम, मुख्यमंत्री कार्यालय।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
6. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (नियम) विभाग।
7. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क–2) विभाग।
8. रक्षित पत्रावली।

सुन्दर शर्मा 4-9-18
उप शासन सचिव

www.rajteachers.com

जय संगठन | इंकलाब जिन्दाबाद | कर्मचारी एकता जिन्दाबाद

अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति

Akhil Rajasthan Rajya Karmchari Sanyukt Sangharsh Samiti

आयुदान सिंह कविया
संयोजक
मो. : 9414038221, 9928634301

गजेन्द्र सिंह राठौड़
सह-संयोजक
मो. : 9414013341

क्रमांक :

दिनांक : .....

प्रेस-विज्ञप्ति

अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति की निर्णायक वार्ता सम्पन्न, सरकार को क्रियान्विति का समय दिया, आंदोलन स्थगित

जयपुर, 04 सितम्बर 2018, अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा 7 सूत्रीय मांग-पत्र के निराकरण हेतु चलाये जा रहे राज्यव्यापी आंदोलन के संबंध में दिनांक 30.08.2018 एवं आज दिनांक 04.09.2018 को राज्यसरकार से सम्पन्न हुयी सकारात्मक वार्ता के कारण संघर्ष समिति ने आंदोलन के अग्रिम चरणों को स्थगित करने की घोषणा की है।

संघर्ष समिति के संयोजक आयुदान सिंह कविया एवं सह संयोजक गजेन्द्र सिह राठौड़ ने संयुक्त रूप से विज्ञप्ति जारी कर बताया कि संघर्ष समिति के साथ मुख्य सचिव राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में सकारात्मक वार्ता सम्पन्न हुई एवं मुख्य सचिव ने 7 सूत्रीय मांग पत्र पर शीघ्र निर्णय लेकर क्रियान्विती का लिखित में आश्वासन दिया तथा सहमति पत्र दिया।

उल्लेखनीय है कि 7 सूत्रीय मांग पत्र के अतिरिक्त एम.टी.एस. की मांग, मंत्री मण्डलीय उप समिति द्वारा कर्मचारी कल्याण हेतु दी गई सहमतियों की क्रियान्विति एवं राजकीय विद्यालयों के क्रियाशील समय में राहत दिलवाने सहित मांगों पर निर्णय लिया जाकर क्रियान्विति की जायेगी।

सादर प्रकाशनार्थ।
श्रीमान् सम्पादक महोदय

.....

(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
सह-संयोजक

(आयुदान सिंह कविया)
संयोजक

www.rajteachers.com